

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश
" निर्माण भवन " प्लॉट नं. 27-28, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल
WebSite: www.mp.gov.in mail: sepwdadminenc@mp.nic.in
Phone-0755-2551485, Fax 2556527

क्रमांक 307/094/2016

भोपाल, दिनांक /01/2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
मध्य प्रदेश ।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
मध्य प्रदेश ।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- कार्यभारित/आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 5592/6599/2016/स्था/19 दिनांक 27-12-2016 की छायाप्रति संलग्न है ।

कार्यभारित/आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31-8-2016 में उल्लेखित प्रावधान के संबंध में शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक 29-9-2014 की कण्डिका 12.2 में यह स्पष्ट है कि पूर्व में अस्वीकृत/निराकृत प्रकरणों पर पुनर्विचार नहीं किया जावेगा ।

कृपया शासनादेश के परिपालन में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर/-
(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, म.प्र. भोपाल
भोपाल, दिनांक 7/01/2017

पृष्ठांकन क्रमांक 307/094/2016/39

प्रतिलिपि-

अधीक्षण यंत्री, (आई.टी. सेल) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सहपत्र- एक

हस्ताक्षर/-
(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, म.प्र. भोपाल
4/1/17

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- ~~5592/100~~⁶⁵⁹⁹/2016/स्था./19 ~~क~~ भोपाल, दिनांक 22/12/2016
प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण, मध्यप्रदेश,
निर्माण भवन, भोपाल।

-00-


विषय:-कार्यभारित/आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बाबत।


संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक-307/094/2011/2573 दिनांक 22.11.2016

—२७—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा कार्यभारित/आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31.8.2016 में उल्लेखित प्रावधान के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

आदेशानुसार अनुरोध है कि, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष 3 के परिपत्र क्र-सी.3-12/2013/1/3 दि.29.09.2014 की कण्डिका 12.2 में यह स्पष्ट है कि पूर्व में अस्वीकृत /निराकृत प्रकरणों पर पुनर्विचार नहीं किया जावेगा। अतः प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।


(सुनील मिश्रा)
अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

